ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में व्यवसायिक गतिशीलता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. दुष्यन्त,

कांधला कॉलेज, कांधला (शामली)

भारत सरकार ने 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्रीय व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत बनाने का महत्वूपर्ण प्रयास किया है। इसकी सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि पंचायत के तीन स्तरों पर समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी जो कि निश्चित रूप से युगांतकारी है।

पंचायतें वे महत्वपूर्ण संस्था हैं, जिनके माध्यम से भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में प्रशासन आम लोगों तक पहुंचता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय लोगों के स्थानीय अधिकार द्वारा ही जाती है। यही सच्चे लोकतंत्र और पंचायती राज का सारतत्व है।पंचायती राज प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को जनता तक पहुचाने का एक उपकरण है। यह वह उपयुक्त माध्यम है जो शासन को सामान्य जनता के दरवाजे तक लाता है। लोकतन्त्र की संकल्पना को अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। इस व्यवस्था में सत्ता जनता को सीधे सौंप दी जाती है। पंचायती राज ग्रामीण जनता को अपनी समस्याओं को समझने, उनका समाधान निकालने तथा अपने सीमित संसाधनों को अपनी समझ बुझ से इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करता है। पंचायती राज व्यवस्था की एक खास विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यों में अनवरत रूचि बनी रहती है क्योंकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय पद्धति से समाधान कर सकते हैं।

पंचायत राज व्यवस्था अनुसूचित जाति एवं सशक्तिकरण 73 वें संविधान संशोधन पर आधारित है सशक्तिकरण की विचारणा की शुरूआत सन् 1980 के दशक में दुहरे उद्देश्य तत्कालीन असमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को चुनौती देना था। और दूसरा इसी से जुड़ा अनिवार्य उद्देश्य आमूलचूल रूपान्तरण करने का रहा है। सशक्तिकरण की विचारणा को मात्र लिंग–सम्बन्धों के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। यह केवल एक लैंगिक मुद्दा ही नहीं है, अपितु यह एक ऐसा विकासात्मक मुद्दा है जो स्त्रियों और पुरूषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। मोटे रूप में, यह हासियों पर जो समूह है (विशेष कर महिलाएं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति), उनसे संबन्धित एक मुद्दा है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि वर्तमान समय में गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों में विकास एक के दौर से गुजर रहे हैं जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक जीवन में बदलाव आ रहा है और बदलाव उन्हें सशक्त करने में योगदान दे रहा है आज वह गतिशीलता जैसी प्रक्रिया में इस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं।

महिलाऐं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन उनकी अब तक की राजनीतिक सहभागिता के स्तर को देखा जाये तो वह लगभग नगणय ही है। भारतीय राजनीति में अनुसूचित जाति की महिलाओं का सक्रिया न होने

के कइ मूल भूत कारण है। विशेष रूप से ग्रामीण सन्दर्भों में राजनीतिक सहभागिता ग्रामीण सामाजिक संरचना के कारण ही सम्भव हो पायी है।

महिला गतिशीलता का अर्थ महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव से मुक्ति है।

महिला गतिशीलता एक वैश्विक विषय है जो कि सामाजिक न्याय, समानता एवं समेंकित सामाजिक विकास के दर्शन पर आधारित है। विश्व में 1990 से 2000 का दशक ''महिला दशक'' के रूप में मनाया गया। प्रतिवर्ष 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 2001 को वर्ष ''महिला सशक्तिकरण वर्ष'' घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के दर्शकी एक महत्वपूर्ण उपलब्ध है। तत्पश्चात् 1996 में ''राष्ट्रीय महिला नीति'' की घोषित की गयी है। 1997 में ''सेक्सुअल हरेसमेंट''' की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किए गए। इसी दशक में महिला गतिशीलता की दिशा में कुछ और योजनाए लागू की महिला गतिशीलता की विचारणा को मात्र लिंग सम्बन्धी के साथ जोड़ना ठीक नहीं ळै। यह केवल एक लैंगिक मुद्दा ही नहीं है।, अपितु यह ऐसा विकासात्मक मुद्दा है जो स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है।

राकेश शर्मा 'निशीथ' (2006) ने बताया कि महिला सरपंचों की सशक्तिकरण की गाथा तो आये दिन देखने को मिलती है। पंचायती राज संस्थाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया को तेजी दी है और महिलायें निजी और सार्वजनिक स्थानों में अपनी भूमिका को नये ढंग से गढ़ रही है। यह भी माना जा रहा है कि पंचायतों में महिलाओं को भी आरक्षण देने के प्रयोग के अच्छे नतीजे रहे हैं। क्योंकि महिलाओं ने न केवल राजनैतिक कौशल हासिल किया है बल्कि वे महिलाओं के हितों की प्रभावी समर्थक भी बनी रही है।

निर्मला सिंह (2006) 73 वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाएं राजनीति में सक्रिय एवं सशक्त हुई ने बताया इस अधिनियम तहत पंचायती राज के तीन चुनाव हो चुके हैं। इन संस्थाओं का चुनाव हाल में हुआ है, इतने कम समय में महिला सशक्तिकरण कितना एवं किस दिशा में हुआ है? इसका आंकलन तत्काल करना शीघ्रतापूर्ण होगा परन्तु यह स्पष्ट है कि महिलाएं अपने उत्तरदायित्वों का भली–भांति निर्वाह कर सकती है तथा समाज को भी नयी दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है।

दशामन्तदास पटेल (2006) ने बताया कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों के तीनों स्तरों सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों हेतु पहली बार कुल निर्धारित पदों के एक–तिहाई भाग को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इससे देश की लगभग दस लाख महिलाओं को पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में चुने जाने का मौका मिलेगा। अब तक हुए चुनावों में महिलाओं ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया तथा महिला पंचायतों सदस्यों एवं अध्यक्षों ने अपने अधिकारों एवं दायित्व का अच्छी तरह निर्वहन करने का प्रयास किया। आज यदि चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों में से 25 प्रतिशत ने भी अपने दायित्वों एवं अधिकारों का अच्छी तरह सफलतापूर्वक निर्वाहन कर लिया तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

अरविन्द कुमार (2008) ने बताया कि राजनीतिक सशक्तिकरण से ही महिलाओं का संपूर्ण सशक्तीकरण नहीं होगा। राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत की महिलाओं का स्थान 128 देशों में 21 वें स्थान पर है, लेकिन आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक मामले एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भारतीय महिलाओं को पूरे

विश्व में रैकिंग क्रमश 122, 116 तथा 126 है। इस तरह महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्पादन और आय अर्जन करने के क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना है, स्कूलों, कॉलेजों में उनके दाखिलों का प्रतिशत बढ़ाना है तथा स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ानी होगी, तभी एक स्त्री सही अर्थों में सशक्त हो पायेगी।

शिव हरे रोली (2009) ने बताया कि महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि महिलाए पर्यवेक्षण कार्यों एवं अहिंसा के लिए उठाए गये कदमों में पुरूषों की अपेक्षा अपेक्षा अधिक उपयुक्त होती है। गांधी जी महिलाओं की सत्ता के पक्षधर भी रहे हैं और उनकी इस सोच को महिलाएं स्थापित भी कर रही है। महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर सही मायनों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। घर के काम काज से बाहर आकर आज महिलाएं सत्ता के मैदान में भी अपना परचम फहरा रही है।

आनन्द सिंह, कोडान बिमल (2010) ने बताया कि जब भारत की लोक तान्त्रिक उपलब्धियों को गिना जायेगा तो पंचायती राज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और जब पंचायती राज के माध्यम से महिला नेतृत्व की सफलता के बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेन्सी यू०एन०डी०पी० ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारतीय पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं में उपजी राजनैतिक चेतना की सराहना की है और कहा है कि सभी राज्यों में पंचायतों के माध्यम से महिलाएं नए उत्साह और स्फूर्ति के साथ विकास में योगदान दे रही है।

तालिका संख्या – 1

लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं को वर्गीकरण

क्रं०सं०	लिंग के आधार पर उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरूष	62	58.49
2.	स्त्री	44	41.51
	योग	106	100

स्रोत तथा संकलन द्वारा स्वयं अनुसंधानकर्ता

उपरोक्त तालिका में उत्तरदायित्वों का लिंग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है जिसमें उत्तरदाताओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पुरूष उत्तरदाता, स्त्री उत्तरदाता प्रतिशत अध्ययन हेतु चयनित 106 उत्तरदाताओं में से 62 (58.49%) परूष है तथा 44(41.51%) स्त्री उत्तरदाता है।

अतः तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पुरूष उत्तरदाता की संख्या महिला उत्तरदाता की संख्या से अधिक है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधानों में पुरूष प्रधानों की संख्या अनुसूचित जाति के महिला प्रधानों से कुछ अधिक है।

तालिका संख्या – 2

उत्तरदाताओं का मुख्य व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

क्रं०सं०	उत्तरदाताओं का मुख्य व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1.	मजदूरी	00	00
2.	कृषि	48	45.28
3.	नौकरी	22	20.75
4.	अन्य व्यवसाय	36	33.96
	योग	106	100

तालिका संख्या – 2 से अनुसूचित जातियों के ग्राम प्रधानों से प्राप्त आकड़ों का मुख्य व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण मुख्य व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं 106 को चार भागों में बाटा गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कोई भी अनुसूचित जाति का ग्राम प्रधान मजदूरी नहीं करता है। कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में 48 (45. 28%) है, नौकरी ग्राम प्रधानों 22 (20.75%) अन्य व्यवसाय 36 (33.96%) है।

अतः उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधानों का अधिकांश मुख्य व्यवसाय कृषि 48 (45. 28%) है जबकि अन्य मुख्य व्यवसाय 36 (33. 96%) है।

निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों के ग्राम प्रधानों का अधिकांश मुख्य व्यवसाय कृषि तथा अन्य व्यवसाय है।

तालिका – 3

उत्तरदाताओं का अनुसूचित जातियों की महिलाओं के विकास के लिए किए गए योगदान का आकड़ों का वर्गीकरण

क्रं०सं०	उत्तरदाताओं का अनुसूचित जातियों की महिलाओं के विकास के लिए किए गए योगदान	संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षा का प्रचार प्रसार करना	36	33.96
2.	महिलाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध करना।	10	9.43
3.	महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना का लाभ दिलाना।	38	35.84
4.	महिलाओं को प्रशिक्षण एवं अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना	14	13.20
5.	जागरूकता सम्बन्धी कार्य करना	08	7.54
	योग	106	100

स्रोत तथा संकलन द्वारा स्वयं अनुसंधानकर्ता

तालिका – 3 से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए किए गए प्रयास कुल 106(100%) उत्तरदाताओं में से 36 (33.96%) उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं

के विकास हेतु शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना बहुत जरूरी है। 10 (9.43%) उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। 38(35.84%) के उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना का लाभ दिलाना जरूरी है। 14 (13.20%) उत्तरदाताओं का मानना है कि शुरू करने में सहायता करना जरूरी है। 08 (7.54%) उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं में जागरूकता सम्बन्धी कार्य करना बहुत जरूरी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधानों का मानना है कि गांव में अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास हेतु 36 (33.96%) शिक्षा का प्रसार तथा 38 (35.84%) महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना का लाभ दिलाना बहुत जरूरी है।

निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के अधिकांश प्रधानों का मानना है कि गांव में अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास हेतु गांव में उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना तथा महिलाओं के लिए सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है। उन सभी योजना का ग्राम स्तर पर महिलाओं को लाभ दिलाना है।

तालिका – 4

उत्तरदाताओं से प्राप्त आकड़ों के आधार पर ग्राम प्रधान बनने के बाद सशक्त हुए का वर्गीकरण

क्रं०सं०	उत्तरदाताओं से प्राप्त आकड़ों के आधार पर ग्राम प्रधान बनने के बाद सशक्त हुए का वर्गीकरण	संख्या	प्रतिशत
1.	आर्थिक रूप से	36	33.96
2.	राजनैतिक रूप से	24	22.64
3.	सामाजिक रूप से	16	15.09
4.	सांस्कृतिक रूप से	05	4.71
5.	उपरोक्त सभी रूप से	25	23.58
	योग	106	100

तालिका – 4 में अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधानों व लोग ग्राम में सशक्त हुए हैं। के बारे में सूचना प्राप्त की गयी है। कुल 106(100%) उत्तरदाताओं में से 36(33.96%) उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। 24(22.64%) उत्तरदाताओं का मानना है कि वह राजनैतिक रूप से सशक्त हुए हैं। 16(15.09%) का मानना है कि सामाजिक रूप से सशक्त हुए हैं। 05 (4.71%) का मानना है कि वह सांस्कृतिक रूप से सशक्त हुए हैं। जबकि 25(23.58%) उत्तरदाताओं का मानना है कि वह आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सशक्त हुए हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं 36(33.96%) का मानना है कि अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान बनने के बाद वह आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। जबकि 25(23.58%) ग्राम प्रधानों का मानना है कि वह आर्थिक राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त हुए हैं।

निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट होता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति ग्राम प्रधानों का मानना है कि वह ग्राम प्रधान बनने के बार आर्थिक रूप से सशक्त (मजबूत) हुए हैं। जबकि कुछ का मानना है कि वह आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त (मजबूत) हुए हैं।

तालिका–5

उत्तरदाता से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर राजनैतिक जागरूकता में महिला वर्ग पर आकड़ों का वर्गीकरण

क्रं०सं०	अनुसूचित जाति वर्ग में राजनैतिक जागरूकता महिला वर्ग में	संख्या	प्रतिशत
1.	महिलाओं की शिक्षा का बढ़ता प्रचार प्रसार	18	16.98
2.	महिलाओं का आर्थिक रूप में पहले से मजबूत होना	18	16.98
3.	सुश्री मायावती से प्रभावित होना	37	34.90
4.	महिला को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना	27	25.47
5.	अन्य किसी महिला नेता का नाम	06	5.66
	योग	106	100

तालिका सं. 5 में अनुसूचित जाति में महिलाओं में आई राजनैतिक जागरूकता के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण किया गया है। कुल 106(100%) उत्तरदाताओं में से 18(16.98%) उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जातियों में महिलाओं में बढ़ती राजनैतिक जागरूकता में महिलाओं की शिक्षा का बढ़ता प्रचार–प्रसार रहा है। 18(16. 98%) उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला राजनैतिक जागरूकता का आधार महिलाओं का आर्थिक रूप में पहले से मजबूज होना रहा है। 37(34.90%) उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला में राजनैतिक जागरूकता में सुश्री मायावती से प्रभावित होना रहा है। 27(25.47%) उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला राजनैतिक जागरूकता में महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति सजग होना रहा है। 06(5.66%) उत्तरदाताओं का मानना है कि वह देश की अन्य महिला नेताओं से प्रभावित हुई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 37(34.90%) उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में बढ़ती राजनैतिक जागरूकता में सुश्री मायावती से प्रभावित होना तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति सजग होना रहा है।

निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट होता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधानों का मानना है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में बढ़ती राजनैतिक जागरूकता में सुश्री मायावती से प्रभावित होना तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति सजग होना रहा है।

तालिका संख्या – 6

उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जाति के महिला सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा के रूप में प्राप्त आकड़ों का वर्गीकरण

क्रं०सं०	अनुसूचित जाति के महिला सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा के रूप में कारक	संख्या	प्रतिशत
1.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना	43	40.56
2.	अनुसूचित जाति की महिलाओं का उच्च जाति की महिलाओं के द्वारा शोषण करना	09	8.49
3.	अनुसूचित जाति के लोगों का उच्च आर्थिक स्थिति से मजबूत अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा निम्न आर्थिक स्थिति की महिलाओं का शोषण	12	11.32
4.	शिक्षा की कमी	19	17.92
5.	जागरूकता की कमी	06	5.66
6.	निम्न आर्थिक स्तरों के कारण कृषि कार्यों में संलग्न रहना।	17	16.03
	योग	106	100

स्रोत तथा संकलन द्वारा स्वयं अनुसंधानकर्ता

तालिका संख्या – 6 के अनुसूचित की महिला सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा के रूप में उत्तरदाताओं से प्राप्त आकड़ों का वर्गीकरण, कुल 106(100%) उत्तरदाताओं में से 43 (40.56%) उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति के महिला सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा के रूप में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना रहा है। 09 (8.49%) उत्तदाताओं का मानना है कि महिला सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा के रूप में अनूसूचित जाति की महिलाओं का उच्च जाति की महिलाओं के द्वारा शोषण करना रहा है। 12 (11.32%) उत्तरदाताओं का मानना है मुख्या बाधा अनुसूचित के लोगों का उच्च आर्थिक स्थिति से मजबूत अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा निम्न आर्थिक स्थिति की महिलाओं का शोषण करना रहा है। 19(17.92%) उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला सशक्तिकरण की प्रमुख बाधा महिला में शिक्षा की कमी है। 06(5.66%) उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा महिलाओं में जागरूकता की कमी का होना है। 17(16.03%) उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा के रूप में निम्न आर्थिक स्तरों के कारण कृषि कार्यों में संलग्न रहना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अधिकांश 43(40.56%) प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा के रूप में अनुसूचित जाति की महिलाओं का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना प्रमुख बाधा के रूप में रहा है। जबकि कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि अनुसूचित जाति के लोगों का उच्च आर्थिक स्थिति से मजबूत अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा निम्न आर्थिक स्थिति की महिलाओं का शोषण करना, तथा निम्न आर्थिक स्तरों के कारण कृषि कार्यों में संलग्न रहना है।

निष्कर्ष के रूप में उपरोक्त तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकांश अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधानों का मानना है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के

सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा के रूप में अनुसूचित जाति की महिलाओं का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना प्रमुख बाधा के रूप में रहा है। जबकि कुछ ग्राम प्रधानों का मानना है कि अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा उच्च आर्थिक स्थिति से मजबूत अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा निम्न आर्थिक स्थिति की महिलाओं का शोषण करना, तथा निम्न आर्थिक स्तरों के कारण कृषि कार्यों में संलग्न रहना है।

सन्दर्भ

1. भारतीय प्रशासन, अवस्थी एण्ड अवस्थी, 1995 पृष्ठ–104
2. वर्मा, बी०एम० रूरल, ''लीडरशिप इन वेलफेयर सोसायटी'', मित्तल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1994
3. पी०वी० यंग, पृ० – 199
4. शर्मा, राकेश, ''पंचायती राज संसथाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका'', ''कुरुक्षेत्र'', ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2006 अंक –10, पृष्ठ – 17–19
5. सिंह, निर्मला, ''राजस्थान में पंचायती राज महिला सशक्तिकरण'' ''कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक–10, 2006 पृष्ठ–35–36
6. पटेल दशमन्तदास, ''पंचायती राज की अवधारणा एक विहगम दृष्टि'' ''कुरुक्षेत्र'', ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक–10, 2006, पृष्ठ– 13–14
7. कुमार, अरविन्द, ''पंचायतों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण ''योजना'' संसर्द मार्ग, नई दिल्ली, अंक – 10, पृष्ठ 17–20
8. रोली, शिव हरे, ''पंचायत में महिलाओं सकारात्मक हिस्सेदारी'', 'कुरुक्षेत्र', ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 10, 2009, पृष्ठ 22–24
9. कोडान, बिमल आनन्द सिंह, ''पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण'', ''कुरुक्षेत्र'', ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 8, 2010, पृष्ठ 11–15